(b) and (c) : The projects under implementation for the development of tourism in the Islands include :—

(i) Construction of tourist accommodation at places like Rangat, Digiipur, Neil and Mava-bunder.

(ii) A Cruiser Vessel for inter-island transport.

(iii) Purchase of trekking and vvrter sportp equipments.

(iv) Purchase of A/c. coaches etc.

Projects which are likely to be taken up include :—

(i) Setting-up of a golf course with private sector participation, and

(ii) Construction of tourist complexes at ColinpurandPanighat etc.

देश में पर्यटक-स्थलों का विकास

2539. **श्री राजनाथ सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में देश में कितने पर्यटक स्थलों का विकास किया गया ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1994-95 में ऐसे पर्यटक-स्थलों का विकास करने का विचार रखती है जिनका वास्तव में विकास किए जाने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पर्यटक-स्थलों की संख्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से पर्यटक-स्थल मौजूद हैं लेकिन सरकार इन स्थलों के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है जिसके परिणामस्वरूप इन स्थलों से कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो पाती है ; और

(ङ) यदि हां तो इन पर्यटन स्थलों को कब तक विकसित किया जाएगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में 227 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों से परामर्श करके वर्ष 1994-95 के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 5115.10 लाख रुपये की लागत की 250 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है । ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं **(नीचे रखी गई)** ।

(घ) और (ङ) सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों के विकास की ओर ध्यान दे रही है । तथापि, पर्यटन की आधारभूत संरचना का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । विशिष्ट प्रस्तावों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो प्रत्येक स्कीम के गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

एक परियोजना के उसके स्वीकृत होने के दो वर्षों के अन्दर पूरा होने की आशा की जाती है ।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं/स्कीमों की सं०	अनुमानित राशि (लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	9	303.50
अरुणाचल प्रदेश	6	77.00
असम	6	130.00
बिहार	10	230.00
गोवा	6	155.00
गुजरात	8	170.00
हरियाणा	9	195.00
हिमाचल प्रदेश	12	313.60
जम्मू व कश्मीर	12	281.00
कर्नाटक	12	400.00
केरल	11	240.00
मध्य प्रदेश	8	195.00
महाराष्ट्र	10	251.00
मणिपुर	7	110.00
मेघालय	5	100.00
मिजोरम	9	150.00
नागालैण्ड	5	55.00
उड़ीसा	8	170.00
पंजाब	9	185.00
राजस्थान	11	231.00
सिक्किम	8	130.00
तमिलनाडु	7	160.00
त्रिपुरा	8	101.00
उत्तर प्रदेश	12	263.00
पश्चिम बंगाल	8	39.50
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	83.00
चण्डीगढ़	5	47.50
दादर एवं नागर हवेली	2	31.00
दमन व दीव	8	40.00
दिल्ली	7	108.00
लक्षद्वीप	1	25.00
पांडिचेरी	6	105.00
जोड़ :	250	5115.10